



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 1502/2025

1 - चित्रसेन रथ पिता श्री ऋषीकेश रथ उम्र लगभग 54 वर्ष व्यवसाय- सोसायटी मैनेजर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कुसमीसरा, पंजीयन क्रमांक 1331, निवासी ग्राम- किसदी, थाना- बलौदा, तहसील- सरायपाली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, सहकारिता विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, न्यू रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर

3 - कलेक्टर महासमुंद जिला- महासमुंद (सी. जी.)

4-जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला - महासमुंद,(छ.ग.)

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद जिला- महासमुंद (छ.ग.)

6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा तोरसिंघा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1500/2025

1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित रुरहा धान बाली केंद्र सागरपाली सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समिति, पंजीकरण संख्या 1348, कुलमणि साहू पिता श्री श्याम लाल साहू के द्वारा उम्र लगभग 42 वर्ष के माध्यम से क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत और समिति द्वारा अधिकृत निवासी ग्राम खरखरी ब्लॉक सरायपाली जिला - महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)



- 2 - प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, सेक्टर-21, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, छठी मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
- 3 - रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
- 4 - प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर पंडरी इंदिरा गांधी परिसर जिला - रायपुर (छ.ग.)
- 5 - कलेक्टर जिला - महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला - महासमुंद (छ.ग.)
- 7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

रिट याचिकस सिविल सं 1419/2025

- 1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित - तिहारीपाली सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति पंजीकरण संख्या 891 मनीष नायक पिता श्री भीमप्रसाद नायक के द्वारा ,उम्र लगभग 32 वर्ष के माध्यम से क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है और समिति द्वारा अधिकृत निवासी ग्राम दर्दीपाली ब्लॉक सरायपाली जिला - महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मंत्रालय के सचिव के द्वारा , महानदी भवन नवाक रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड सेक्टर-21 सी. बी. डी. परिसर छठी मंजिल अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)
- 3 - छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के पंजीयक इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)
- 4 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर पंडरी इंदिरा गांधी परिसर जिला- रायपुर (सी. जी.)
- 5-कलेक्टर जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण





रिट याचिका सिविल सं 1497/2025

1 - नकुल साहू पिता श्री विष्णु साहू पिता 60 वर्षीय पेशा सोसाइटी मैनेजर, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा तोसगांव, पंजीकरण संख्या 1261, आर/ओ गाँव-लामनिवासीनी, थाना-बसना, तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला.- रायपुर छत्तीसगढ़

3 - कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा तोरसिंघा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1552/2025

1 - क्षीरसिंधु भोई पिता स्वर्गीय श्री रविशंकर भोई उम्र लगभग 56 वर्ष व्यवसाय सोसायटी प्रबंधक प्राथमिक कृषक साख सहकारी समिति मर्यादित कोटद्वारी, पंजीयन क्रमांक 1259, निवासी ग्राम बलौदा थाना बलौदा तहसील सरायपाली जिला - महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव सहकारिता विभाग के द्वारा , महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, न्यू रायपुर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

2 - प्रबंध निदेशक, मार्कफेड, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

3 - कलेक्टर, महासमुंद, जिला - महासमुंद (छत्तीसगढ़)

4 - जिला सहकारिता मार्कफेड अधिकारी, महासमुंद, जिला - महासमुंद (छत्तीसगढ़)

5 - उपायुक्त / उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति महासमुंद जिला - महासमुंद (छत्तीसगढ़)





6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर शाखा तोरसिंघा जिला - महासमुंद
(छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1527/2025

1 - दीपक कुमार वर्मा पिता श्री ईश्वर प्रसाद वर्मा उम्र लगभग 54 वर्ष व्यवसाय - सोसायटी प्रबंधक,
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित केजुवां, पंजीयन क्रमांक 1321, निवासी ग्राम - केजुवां,
थाना व तहसील - सरायपाली, जिला - महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा , सहकारिता विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल
नगर, न्यू रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला.- रायपुर छत्तीसगढ़

3 - कलेक्टर महासमुंद जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा तोरसिंघा, जिला- महासमुंद
छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1531/2025

1 - राजेश प्रधान पिता श्री उत्तर प्रधान, उम्र लगभग 43 वर्ष, व्यवसाय - सोसायटी प्रबंधक, प्राथमिक
कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित तोरसिंघा, पंजीयन क्रमांक-1324, निवासी ग्राम- तोरसिंघा,
थाना व तहसील- सरायपाली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर,
नई रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)



- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित रायपुर, शाखा-तोरसिंघा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1539/2025

- 1 - गोपाल नायक पिता श्री सुरेश नायक, उम्र लगभग 31 वर्ष, व्यवसाय- सोसायटी प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बेलमुंडी, पंजीयन क्रमांक 896, निवासी ग्राम- इच्छापुर, थाना एवं तहसील- सरायपाली, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - कलेक्टर महासमुंद, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा तोरसिंघा, जिला:महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1532/2025





1 - उमेश कुमार साहू पिता श्री अमूल्य साहू उम्र लगभग 39 वर्ष व्यवसाय - सोसायटी प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जंगलबेड़ा, पंजीयन क्रमांक 895, निवासी ग्राम- तोरसिंघा, थाना एवं तहसील- सरायपाली, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला- महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला - महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा तोरसिंघा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1549/2025

1 - युधिष्ठिर बरिहा पिता श्री लिंगराज बरिहा उम्र लगभग 45 वर्ष व्यवसाय सोसायटी प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गेर्ग पंजीयन क्रमांक 893, निवासी ग्राम डुमरपाली थाना बलौदा तहसील सरायपाली जिला - महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव सहकारी विभाग के द्वारा , महानदी भवन राजधानी परिसर अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर शाखा तोरसिंघा जिला-महासमुंद (छ.ग.)



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1424/2025

1 - सेवन कुमार चौधरी पिता श्री जयलाल चौधरी उम्र लगभग 39 वर्ष व्यवसाय - धान खरीदी प्रभारी/प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सरकंडा, पंजीयन क्रमांक 1225, निवासी ग्राम- दलदली, थाना, तहसील एवं ब्लॉक- बसना, जिला- महासमुंद छ.ग.

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव सहकारी विभाग के द्वारा, महानदी भवन, राजधानी परिसर अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक, मार्कफेड, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी, महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

6 - शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा पिरदा जिला महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1383/2025

1 - तुलसीराम साव पिता श्री देग्रीलाल साव पिता 37 वर्ष का व्यवसाय-धान क्रय प्रभारी/प्रबंधक, प्रथम कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पाथरला, पंजीकरण संख्या 1204, निवासी ग्राम-पथरिया, थाना, तहसील तथा ब्लॉक-बासना, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

3 - कलेक्टर, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)



6 - शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा पिरदा, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1485/2025

1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मराडित-भोथलडीह सहकारी समिति अधिनियम, पंजीकरण संख्या 1266 निवासी तहत पंजीकृत सोसायटी, दिलीप नायक पिता श्री महेंद्र नायक, लगभग 35 वर्ष, क्लर्क सह-कंप्यूटर ऑपरेटर तथा समिति द्वारा अधिकृत ग्राम-भोथलडीह ब्लॉक सरायपाली जिला- महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मंत्रालय के सचिव के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड सेक्टर-21 सी. बी. डी. परिसर छठी मंजिल अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

3 - पंजीयक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति, इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के द्वारा, रायपुर पंडरी इंदिरा गांधी परिषद जिला-रायपुर (छ.ग.)

5-कलेक्टर जिला-महासमुंद (छ.ग.)

6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मायादित जिला-महासमुंद (छ.ग.)

7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1409/2025

1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा, सहकारी समिति अधिनियम निवासी तहत पुटका पंजीकृत सोसायटी, पंजीकरण संख्या 890, भोजराज साहू पिता श्री महेंद्र साहू के द्वारा, लगभग 36 वर्ष, ग्राम पाइकिन ब्लॉक सरायपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता



बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मंत्रालय के सचिव के माध्यम से महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड सेक्टर-21 सी. बी. डी. परिसर छठी मंजिल अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)
- 3 - छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के पंजीयक इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रायपुर पंडरी इंदिरा गांधी परिसर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 5-कलेक्टर जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1410/2025

- 1 - प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा भोथलडीह धान कटाई केंद्र-लिमगांव, सहकारी समिति अधिनियम निवासी तहत पंजीकृत सोसायटी, पंजीकरण संख्या 1266, प्रालय कुमार साहू पिता श्री रोहित साहू के द्वारा, लगभग 32 वर्ष,ग्राम छिंदपाली, ब्लॉक सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, सेक्टर-21, सी. बी. डी. परिसर, छठी मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - पंजीयक छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर, पादरी, इंदिरा गांधी परिसर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 5 - कलेक्टर जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।



6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1595/2025

1 - देव कुमार पटेल पिता श्री आनंद राम पटेल, 52 वर्ष, व्यवसाय-प्रभारी धान खरीद केंद्र, रिसिनिवासीला, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा रिसिनिवासीला, पंजीकरण संख्या 1231, निवासी गाँव-रिसिनिवासीला, पोस्ट-निवासीदुवा, थाना तथा तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला.- रायपुर (छ.ग.)

3 - कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

6 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक मर्यादा रायपुर, शाखा सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1662/2025

1 - ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित सुखीपाली अपने प्रबंधक के द्वारा श्री सुरेंद्र प्रधान पुत्र श्री बाल्मिक प्रधान, उम्र लगभग 41 वर्ष निवासी ग्राम- टोंगोपथरा, पोस्ट- सुखीपाली, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथोरा महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1674/2025

- 1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, चिवराकुटा (पंजीकरण क्रमांक 1304), इसके प्रभारी सोसायटी प्रबंधक/फूडप्रभारी धनपति दास पिता मुरली दास के द्वारा, उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी ग्राम गनियारीपाली तहसील सरायपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्य सचिव मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक मर्यादा अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3-कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला-सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1699/2025



1 – ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पेंड्रावन उपार्जन केंद्र मोहगांव, इसके प्रबंधक के माध्यम से श्री धर्मेन्द्र कुमार पटेल पिता श्री स्वर्गीय सुबेलाल पटेल, उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम-पेंड्रावन, पोस्ट- सालडीह, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 – प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3 – कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 – नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय, महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 – उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथौरा, महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 – जिला विपणन अधिकारी महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1673/2025

1 – ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित सपोस उपार्जन केंद्र लोहारकोट (सपोस), इसके प्रबंधक श्री हीरालाल साहू पिता श्री धनपति साहू के द्वारा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम- गबोड, पोस्ट- सपोस, तहसील - पिथौरा, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य-सचिव के द्वारा,, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 – प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
- 3 – कलेक्टर महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 – नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 – उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथौरा, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)





6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1675/2025

1 - ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित सालडीह (उपार्जन केंद्र ढोढरकसा), इसके प्रबंधक श्री लक्ष्मी प्रसाद सिदार पिता श्री आत्माराम सिदार के द्वारा, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम- ढोढरकसा, पोस्ट- सालडीह, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथौरा महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1659/2025

1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सांकरा इसके केंद्र प्रभारी श्री बसंत बैंक पिता श्री मुरली बैंक के द्वारा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम- सांकरा, पोस्ट- सांकरा, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)



- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय, महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथोरा महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1764/2025

- 1 - बलराम सिंह ठाकुर पिता श्री महेंद्र सिंह ठाकुर उम्र लगभग 49 वर्ष व्यवसाय- प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, मेढुका, पंजीयन क्रमांक 680, निवासी ग्राम- मेढुका, तहसील- गौरेला, जिला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 5 - सहायक आयुक्त/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, गौरेला, जिला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1762/2025

- 1 - रविश कुमार जायसवाल पिता श्री प्रमोद कुमार जायसवाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, व्यवसाय - प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, लेम्पस, खोदरी, पंजीकरण संख्या 3083 और धान खरीद केंद्र, जोगिसार, निवासी ग्राम - खोदरी, तहसील - पेंड्रा, जिला - गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)

--- याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 5 - सहायक आयुक्त/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, गौरेला, जिला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1805/2025

- 1 - ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पेंड्रावन पंजीकृत क्रमांक 1284, उपार्जन केंद्र पेंड्रावन, इसके प्रबंधक भूपेन्द्र कुमार पटेल, पिता श्री बैकुंठ प्रसाद पटेल के द्वारा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम पेंड्रावन, पोस्ट सालडीह, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 - कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल अधिकारी, महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 5 - उपमंडल अधिकारी (खाद्य) पिथौरा, महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1773/2025



1 - मानसिंह राठौड़ पिता स्वर्गीय मोहित राम राठौड़ उम्र लगभग 55 वर्ष व्यवसाय-प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, देवरीकला, पंजीयन क्रमांक 3080, निवासी ग्राम-देवरीकला, तहसील-गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 5-सहायक आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1771/2025

1 - अजीजुर्हमान पिता श्री अब्दुल मन्नान, उम्र लगभग 41 वर्ष, व्यवसाय-प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, सिवनी एवं धान उपार्जन केन्द्र, निमधा एवं परासी, निवासी ग्राम-सिवनी, तहसील-मरवाही, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)



5-सहायक आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,(छ.ग.)

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

(छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1772/2025

1 - सुरेश साइमन,पिता स्वर्गीय साइमन एस. राम , उम्र लगभग 54 वर्ष, व्यवसाय - प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, लेम्पस, भरिदांड, पंजीकरण संख्या 3076 और धान खरीद केंद्र, बंसीतल, निवासी ग्राम - भरिदांड, तहसील - मरवाही, जिला - गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

5-सहायक आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,(छ.ग.)

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1775/2025

1 - दीपक कुमार सिंह बनफर, पिता श्री बीरबल सिंह बनफर, उम्र लगभग 44 वर्ष, व्यवसाय - प्रभारी समिति प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, नवागाँव, पंजीकरण संख्या 3081, निवासी ग्राम - नवागाँव, तहसील - गौरेला, जिला - गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)

---- याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)
- 5-सहायक आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,(छ.ग.)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1854/2025

- 1 - उमाकांत मिश्रा पिता श्री घनश्याम मिश्रा लगभग 46 वर्ष, सहायक सोसायटी प्रबंधक, पितावा सहकारी समिति मर्यादा, बीजभात, बेमेतरा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - कलेक्टर बेमेतारा कलेक्टोरेट, बेमेतारा, जिला बेमेतारा, छत्तीसगढ़
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, बेमेतारा, जिला बेमेतारा छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1774/2025



1 - लाखन सिंह मार्को पिता स्वर्गीय सुखराम मार्को उम्र लगभग 57 वर्ष व्यवसाय - सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, पेंड्रा, पंजीयन क्रमांक 3079, निवासी ग्राम - पेंड्रा, थाना - पेंड्रा, तहसील - पेंड्रा, जिला - गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा,सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़

4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़

5-सहायक आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही,(छ.ग.)

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1891/2025

1 - अशोक कुमार साहू पिता श्री नरेश राम उम्र लगभग 49 वर्ष पोस्ट - ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित- बावनकेरा, रजि. क्रमांक-989, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य -सचिव के द्वारा, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर थ्रू-मैनेजर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़



- 3 - शाखा झलप, जिला- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के महासमुंद, - शाखा प्रबंधक के द्वारा, शाखा - झलप, जिला- महासमुंद, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, महासमुंद, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन्न संघ -प्रबंध निदेशक के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन्न संघ, छठी मंजिल, टावर सी. सी. बी. डी., सेक्टर-21, अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5-उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 6 - जिला मार्क-फेड अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन्न संघ, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़
- 7 - कलेक्टर महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1670/2025

- 1 - सुखसागर साहू पिता श्री विजय कुमार साहू पिता 42 वर्ष का व्यवसाय-क्लर्क-कम-कंप्यूटर ऑपरेटर/प्रभारी धान खरीद केंद्र, नवागढ़, प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा नवागढ़, पंजीकरण संख्या 889, निवासी गाँव-नवागढ़, थाना तथा तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला.- रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला।- महासमुंद छत्तीसगढ़
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़
- 6 - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा प्रबंधक मर्यादा रायपुर, शाखा सरायपाली, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1566/2025

1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पारसवानी अपने प्रबंधक श्री जयराम प्रधान पिता स्वर्गीय श्री प्रेमलाल प्रधान के द्वारा, उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी ग्राम- धरमपुर, थाना- सांकरा (जोंक), तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के द्वारा, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथौरा, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी, महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1676/2025

- 1 - बाबूलाल माणिकपुरी पिता श्री अमर सिंह माणिकपुरी, 40 वर्ष, व्यवसाय-प्रभारी धान खरीद केंद्र नवरंगपुर, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादित नवरंगपुर, पंजीकरण संख्या 1227, गाँव-नवरंगपुर, पतेंद्री निवासी बाद, थाना तथा तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 2 - धर्मेन्द्र साहू पिता श्री छालिया साहू, 43 वर्ष, व्यवसाय-प्रभारी धान खरीद निवासीन्द्र बारडोली, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादित नवरंगपुर, पंजीकरण संख्या 1227, ग्राम-बारडोली, पतेंद्री निवासी बाद, थाना तथा तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला.रायपुर (छत्तीसगढ़)



- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक मर्यादा रायपुर, शाखा सरायपाली, जिला।- महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1672/2025

- 1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कनकेवा (पंजीकरण क्रमांक 861), इसके प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, उपार्जन केंद्र केंदुधार अर्थात् यादराम महंत पिता स्वर्गीय नामीदास के द्वारा, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम केंदुधार, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3-कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण





रिट याचिका सिविल सं 1957/2025

1 - जितेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय श्री गोविंद दास लगभग 42 वर्ष, सहायक समाज प्रबंधक, पितावा,
सहकारी समिति मर्यादा चंदनु, बेमेतरा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - कलेक्टर बेमेतरा, कलेक्टर कार्यालय, बेमेतरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़।
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2001/2025

1 - प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बड़ईपाली अपने सहायक प्रबंधक श्री उमैद राम यादव पिता श्री तखत राम यादव के द्वारा, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम- बड़ईपाली, पोस्ट- शिकारीपाली, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 3-कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)



6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2055/2025

1 - रामानंद चंद्राकर पिता श्री स्वर्गीय गोरेलाल चंद्राकर उम्र लगभग 51 वर्ष, पदस्थ उपार्जन केंद्र
प्रभारी नवागांव ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित पटेवा महासमुंद जिला - महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से
महानदी भवन अटल नगर रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

2 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर प्रबंधक के माध्यम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा
रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

3-शाखा झालाप जिला महासमुंद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर शाखा प्रबंधक शाखा जिला
सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा परिषद के द्वारा, जिला-महासमुंद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा परिषद
जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ के प्रबंध निदेशक के
माध्यम से छठी मंजिल का टावर सी. सी. बी. डी. सेक्टर 21 अटल नगर रायपुर जिला-रायपुर
छत्तीसगढ़

5 - उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

6-जिला मार्क-संघ अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ महासमुंद जिला-महासमुंद
छत्तीसगढ़

7 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1658/2025



1 - प्रेम कुमार साहू पिता श्री उग्रपितान साहू लगभग 38 वर्ष का व्यवसाय-प्रबंधक, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा बोंडनवापाली, पंजीकरण संख्या 867, निवासी गाँव-बारडोली, थाना तथा तहसील-सरयपाली, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़
- 6 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक मर्यादा रायपुर, शाखा सरायपाली, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1971/2025

1 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित उत्तरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 3051 है, इसके प्रभारी प्रबंधक समुंद सिंह पिता श्री भुवन सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम उत्तरदा, पोस्ट उत्तरदा, तहसील हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - निदेशक खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निदेशालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 4 - कलेक्टर कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)





- 5 - पंजीयक सहकारी समितियाँ, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)
- 6 - प्रबंध निदेशक सी. जी. स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, सी. बी. डी. कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल ब्लॉक 'सी', सेक्टर 21, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 7 - जिला विपणन अधिकारी सी. जी. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1510/2025

- 1 - राजेश बारिक पिता श्री अमूल्य साहू 39 वर्ष निवासी व्यवसाय सोसायटी प्रबंधक पार्थकमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादा सिरबोदा पंजीकरण संख्या 897 निवासी ग्राम कुसमिसार थाना बलौदा तहसील सरयपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव सहकारी विभाग के माध्यम से महानदी भवन राजधानी परिसर अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर शाखा तोरसिंघा जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1906/2025

- 1 - ग्रामीण सेवा कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सगुनधाप पंजीकृत क्रमांक 1274, इसके प्रबंधक हरिलाल साव, पिता श्री सखीराम साव, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम- सगुनधाप, पोस्ट- सांकरा, तहसील- पिथौरा, जिला- महासमुंद छत्तीसगढ़।



---- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड अटल, नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथोरा, महासमुंद जिला-महासमुंद (छ.ग.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1833/2025

- 1 - जगन्नाथ प्रसाद पिता श्री मथुरा प्रसाद आयु लगभग 38 वर्ष सहायक सोसायटी प्रबंधक, पितावा सहकारी समिति मर्यादा, काठिया, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - कलेक्टर बेमेतरा कलेक्टोरेट, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1858/2025





1 - तेजराम साहू पिता श्री रामत लाल साहू लगभग 34 वर्ष सहायक समाज प्रबंधक, पितावा सहकारी समिति मर्यादा, किरीटपुर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - कलेक्टर, बेमेतरा, कलेक्ट्रेट, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड), अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, बेमेतारा, जिला बेमेतारा, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1665/2025

1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा जेराबरन अपने प्रबंधक श्री ओमप्रकाश नायक पुत्र श्री प्यारी लाल नायक निवासी माध्यम पिता, लगभग 45 वर्ष निवासी गाँव-डोंगरीपाली, पोस्ट-छोटेलास, तहसील-पिथोरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़


3 - कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

4 - नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय, महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथोरा, महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

6 - जिला विपणन अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण





रिट याचिका सिविल सं 1660/2025

1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा कांनिवासीवा (पंजीकरण संख्या 861), इसनिवासी माध्यम से-इसनिवासी प्रभारी सोसायटी प्रबंधक/फूड राजू पटेल, पुरंदर पटेल निवासी बेटे, लगभग 46 वर्ष की आयु, आर/ओ गाँव-कांनिवासीवा, तहसील सरायपाली, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, अटल नगर, नया रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

3-कलेक्टर महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

4 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

5 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला-महासमुंद, महासमुंद छत्तीसगढ़

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1813/2025

1 - केवल सिंह वर्मा पिता श्री कल्याण सिंह वर्मा लगभग 34 वर्ष सहायक सोसायटी प्रबंधक, पितावा सहकारी समिति मर्यादा, खिलोरा, बेमेतरा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - कलेक्टर बेमेतारा कलेक्टोरेट, बेमेतारा, जिला बेमेतारा, छत्तीसगढ़
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, बेमेतारा, जिला बेमेतारा, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1671/2025

- 1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा सराईपाली (विनियमन सं. 1238), अपने प्रभारी सोसायटी प्रबंधक/फूड शैलेंद्र यादव पिता स्वर्गीय भजन सिंह यादव निवासी माध्यम पिता लगभग 48 वर्ष की आयु में गांव सराईपाली तहसील सराईपाली जिला-महासमुंद (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध निदेशक मर्यादा अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 3-कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)
- 4 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)
- 5 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला-सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1810/2025



1 - अश्विनी मार्कण्डेय पिता श्री सुखचंद मार्कण्डेय आयु लगभग 50 वर्ष सहायक सोसायटी प्रबंधक, पितावा सहकारी समिति मर्यादा, जिया, बेमेतरा छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - कलेक्टर बेमेतारा, कलेक्टर कार्यालय, बेमेतारा, जिला बेमेतारा छत्तीसगढ़।
- 3 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) अपने सचिव, मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4 - जिला विपणन अधिकारी मार्केड, बेमेतारा, जिला बेमेतारा, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1776/2025

1 - भारत लाल पेंकरा पिता श्री अंजोर सिंह पेंकरा लगभग 50 वर्ष के व्यवसाय-प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति पितावा सहकारी समिति, धनौली, पंजीकरण सं।679, निवासी गाँव-धनौली, पुलिस स्टेशन-निवासीला, तहसील-निवासीला, जिला-निवासीला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)
- 5 - अस्स्टेट।आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)
- 6 - नोडल अधिकारी जिला-सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)



-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1766/2025

1 - दुर्गा प्रसाद राय पिता श्री रामलाल राय लगभग 61 वर्ष का व्यवसाय-प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति पितावा सहकारी समिति, लारनिवासीनी, पंजीकरण संख्या-3075, निवासी गाँव-लारनिवासीनी, तहसील-गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)

2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)

3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

4 - कलेक्टर गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

5 - अस्स्टेट।आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1765/2025

1 - जगदीश प्रसाद कश्यप पिता श्री बेचन लाल कश्यप लगभग 61 वर्ष का व्यवसाय-प्रभारी सोसायटी प्रबंधक, आदिम जाति पितावा सहकारी समिति, मरवाही, पंजीकरण संख्या 3073, ग्राम-मरवाही, तहसील-मरवाही, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव सहकारी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



- 2 - प्रबंध निदेशक विपणन संघ, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - जिला विपणन अधिकारी गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 4 - कलेक्टर गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ 5-सहायक।आयुक्त/सहायक।पंजीयक सहकारी समिति, गौरेला, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़
- 6 - नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, पेंड्रा, जिला:गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1486/2025

- 1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा-सिंगबहाल सहकारी समिति अधिनियम, पंजीकरण संख्या 860 निवासी तहत पंजीकृत सोसायटी, क्षत्र मोहन साहू पिता श्री बलराम साहू निवासी माध्यम पिता, लगभग 37 वर्ष की आयु में, पिताल्समैन निवासी रूप में काम करते हुए तथा समिति द्वारा अधिकृत, ग्राम-पंडरीपानी, ब्लॉक-सरायपाली, जिला महासमुंद (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, सेक्टर-21, सी. बी. डी. परिसर, छठी मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर (सी. जी.)
- 3 - पंजीयक छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (सी. जी.)
- 4 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर, पादरी, इंदिरा गांधी परिसर, जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 5-कलेक्टर जिला-महासमुंद (सी. जी.)
- 6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, जिला महासमुंद (सी. जी.)
- 7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1421/2025



1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा-मालदमाल पंजीकृत सोसायटी सहकारी समिति अधिनियम निवासी तहत, पंजीकरण संख्या 892, हिम्मत लाल प्रधान पिता श्री अलेख प्रधान निवासी माध्यम पिता, लगभग 33 वर्ष की आयु में, क्लर्क सह-कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम खरखारी, ब्लॉक सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, सेक्टर-21, सी. बी. डी. परिसर, छठी मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 - पंजीयक छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर, पादरी, इंदिरा गांधी परिसर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5 - कलेक्टर जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1480/2025

1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा-पुटका धान ईयररिंग पितांटर-लांती, सहकारी समिति अधिनियम निवासी तहत पंजीकृत सोसायटी, पंजीकरण संख्या 890, देवेंद्र पटेल पिता श्री अशोक पटेल निवासी माध्यम पिता, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष है, क्लर्क सह-कंप्यूटर ऑपरेटर निवासी गाँव-दामोदर, ब्लॉक-सरायपाली, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, सेक्टर-21, सी. बी. डी. परिसर, छठी मंजिल, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
- 3 - पंजीयक छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
- 4 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रायपुर, पादरी, इंदिरा गांधी परिसर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़
- 5 - कलेक्टर जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़
- 6 - जिला विपणन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़
- 7 - उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण



रिट याचिका सिविल सं 1407/2025

- 1 - सोहन साहू पिता श्री रेशम लाल साहू पिता 32 वर्ष का व्यवसाय-धान क्रय प्रभारी/प्रबंधक, प्रथम कृषि सख सहकारी समिति कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा जादमुदा, पंजीकरण संख्या 879, निवासी। गाँव-जादामुदा, थाना, तहसील तथा ब्लॉक-बसना, जिला-महासमुंद (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर नया रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला- रायपुर (सी. जी.)
- 3 - कलेक्टर महासमुंद जिला।- महासमुंद (सी. जी.)
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद जिला।- महासमुंद (सी. जी.)



- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला।- महासमुंद (सी. जी.)
- 6 - शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, शाखा पिरदा, जिला।- महासमुंद (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 1404/2025

- 1 - मनमोहन भानू पिता श्री जनकराम भानू पिता 32 वर्ष का व्यवसाय-धान क्रय प्रभारी/प्रबंधक, प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा भास्करपाली, पंजीकरण संख्या 887, ग्राम खैरजुदी, थाना, तहसील तथा ब्लॉक बसना, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, सहकारी विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
- 2 - प्रबंध निदेशक मार्कफेड, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
- 3 - कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 4 - जिला सहकारी मार्कफेड अधिकारी महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 5 - उपायुक्त/उप-पंजीयक सहकारी समिति महासमुंद, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़।
- 6 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक मर्यादा रायपुर, शाखा पिरदा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2034/2025

- 1 - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित अखरापाली जिसका पंजीयन क्रमांक 305 है इसके प्रभारी प्रबंधक ललित कुमार रजक पुत्र श्री पारस राम रजक उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कनबेरी पोस्ट पडनिया तहसील दीपका जिला - कोरबा (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम



- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता पोर्टेशन मंत्रालय के सचिव विभाग के माध्यम से महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 2-सचिव वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 3-निदेशक खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निदेशालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 4-कोरबा जिला कलेक्टर-कोरबा (सी. जी.)
- 5-पंजीयक सहकारी समितियाँ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 6-प्रबंध निदेशक सी. जी. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड सी. बी. डी. कॉम्प्लेक्स वाणिज्यिक ब्लॉक सी सेक्टर 21 अटल नगर नवा रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 7-जिला विपणन अधिकारी सी. जी. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड कोरबा जिला-कोरबा (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2063/2025

- 1 - उमाशंकर गर्जेन्द्र पिता श्री उदयराम कलार, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित- पटेवा, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में सोसायटी मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर प्रबंधक के माध्यम से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा की शाखा झालप जिला महासमुंद, रायपुर, शाखा प्रबंधक, शाखा झालप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा का जिला महासमुंद, रायपुर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
- 4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपण संघ प्रबंध निदेशक के माध्यम से, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपण संघ, छठी मंजिल, टावर सी. सी. बी. डी., सेक्टर-21 अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5 - उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।



6 - जिला मार्क-फेड अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

7 - कलेक्टर महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2064/2025

1 - संतराम भास्कर पिता श्री भगेलु भास्कर उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित-बावनकेरा, रजि. के उपार्जन केंद्र प्रभारी चौकबेड़ा के पद पर पदस्थ। क्रमांक 986, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

2-जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

3 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा झालाप जिला-महासमुंद मर्यादित रायपुर, शाखा प्रबंधक, शाखा झालाप जिला-जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

4-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ के माध्यम से-प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ, छठी मंजिल, टावर सी. सी. बी. डी., सेक्टर-21 अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

5-उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

6 - जिला मार्क-फेड अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपन संघ, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

7-कलेक्टर महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2075/2025



1 - प्रथमिक कृषि सख सहकारी समिति मर्यादा घोट अपने सहायक प्रबंधक श्री तेजराम श्रीवास पिता श्री विश्राम श्रीवास निवासी माध्यम पिता, लगभग 61 वर्ष निवासी गाँव-घोंच, घोच निवासी बाद, तहसील-पिथोरा, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर (सी. जी.)

2 - प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

3-कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)

4-नोडल अधिकारी जिला नोडल कार्यालय महासमुंद जिला-महासमुंद(सी. जी.)

5 - उप-मंडल अधिकारी (खाद्य) पिथोरा महासमुंद जिला-महासमुंद(सी. जी.)

6-जिला विपणन अधिकारी महासमुंद जिला-महासमुंद (सी. जी.)

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2076/2025

1 - तुकेश्वर कुमार जोगी पिता श्री मोहन लाल जोगी लगभग 38 वर्ष की आयु में ग्रामीण पितावा सहकारी समिति मर्यादा-पाटेवा, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़ के खरीद केंद्र प्रभारी सालिहाभाथा

---याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर, प्रबंधक के माध्यम से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 - शाखा झालप जिला-महासमुंद, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, रायपुर, शाखा प्रबंधक के माध्यम से, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की शाखा झालप जिला-महासमुंद।





4 - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपनन संघ, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपनन संघ, छठी मंजिल, टावर सी. सी. बी. डी., सेक्टर-21 अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

5 - उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।

6 - जिला मार्क-फेड अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपनन संग, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।

7 - कलेक्टर, महासमुंद, जिला-महासमुंद, छत्तीसगढ़।

-----उत्तरवादीगण

रिट याचिका सिविल सं 2055/2025

1 - रामानंद चंद्रकर पिता श्री स्वर्गीय गोरेलाल चंद्रकर लगभग 51 वर्ष की आयु में ग्रामीण पितावा सहकारी समिति मर्यादा पटवा महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़ के नवगाँव खरीद केंद्र के प्रभारी के रूप में पदस्थ

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से महानदी भवन अटल नगर रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

2-जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

3-शाखा झालाप जिला महासमुंद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर शाखा प्रबंधक शाखा झालाप जिला-महासमुंद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

4-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपिन संघ प्रबंध निदेशक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपिन संघ 6 वीं मंजिल टावर सी. सी. बी. डी. सेक्टर 21 अटल नगर रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

5-उपायुक्त सहकारी तथा उप-पंजीयक सहकारी समितियां महासमुंद जिला - महासमुंद छत्तीसगढ़

6-जिला चिह्न-केंद्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपिन संघ महासमुंद जिला-महासमुंद

छत्तीसगढ़ 7-कलेक्टर महासमुंद जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादीगण





(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

संबंधित याचिकाकर्ताओं हेतु :- श्री अमृत दास, श्री सुनील साहू, श्री विकास कुमार पांडे, श्री सजल कुमार गुप्ता, श्री उत्कल प्रधान, श्री ईशान वर्मा, श्री रूप राम नाइक, श्री शिखर शर्मा और श्री रमाकांत पांडे, अधिवक्ता

राज्य हेतु :- श्री आर. के. गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक।ए. जी. श्री प्रवीण दास, डी. ए. जी., श्री सतीश गुप्ता, जी. ए., श्रीमती उपासना मेहता, डी. जी. ए., श्री संतोष भारत, पी. एल., श्री श्रेयांश मेहता, पैनल अधिवक्ता,

संबंधित उत्तरवादी हेतु :- श्री मनीष उपाध्याय, श्री अनिमेष तिवारी, श्री हर्षल चौहान, श्री संदीप दुबे, अधिवक्ता श्री मानस वाजपेयी और श्री अभिषेक चंद्र गुप्ता, अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित



एकल पीठ –माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

29.04.2025

1. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अमृतो दास, श्री सुनील साहू, श्री विकास कुमार पांडे, श्री सजल कुमार गुप्ता, श्री उत्कल प्रधान, श्री इशान वर्मा, श्री रूप राम नाइक, श्री शिखर शर्मा और श्री रमा कांत पांडे को सुना गया। श्री आर.के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता ., श्री प्रवीण दास, उप. ए.जी., श्री सतीश गुप्ता, शासकिय अधिवक्ता ., श्रीमती उपासना मेहता, उप.शासकिय अधिवक्ता, श्री संतोष भारत, पैनल अधिवक्ता., श्री श्रेयांश मेहता, पैनल अधिवक्ता को भी सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्तागण श्री मनीष उपाध्याय, श्री अनिमेष तिवारी, श्री हर्षल चौहान, श्री संदीप दुबे, श्री मानस वाजपेई और श्री अभिषेक चंद्र गुप्ता, अधिवक्ता संबंधित उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित हुए तथा उन्हें भी सुना गया ।

2. चूंकि सभी रिट याचिकाओं में समान और एक ही विवादक शामिल है, इसलिए इन्हें एक साथ मिलाकर, एक साथ सुना जाएगा और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जाएगा। इस आदेश के माध्यम से सभी रिट याचिकाओं पर निर्णय पारित किया जाएगा।



3. इन सभी रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप की मांग करते हुए इस न्यायालय का रुख किया है। वे उत्तरवादी अधिकारियों के उन कृत्यों से व्यथित हैं जिनके द्वारा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके द्वारा एकत्र किया गया धान नहीं उठाया जा रहा है। संबंधित याचिकाकर्ता समितियों द्वारा खरीदी गई धान की पूरी मात्रा की ढुलाई नहीं हो रही है, जिसके कारण धान सूख रही है और उसका वजन, मात्रा और गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। धान का भंडार बफर सीमा को पार कर चुका है, हालांकि धान खरीदने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों, विशेष रूप से राज्य अधिकारियों के हठधर्मी रवैये के कारण खरीदी गई मात्रा की ढुलाई नहीं हो सकी है। एक ओर धान की ढुलाई नहीं हो रही है और सूखने के कारण धान का वजन घट रहा है, जिसके लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर संबंधित समिति के प्रबंधकों और कर्मचारियों को उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करने पर धमकाया जा रहा है, और अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने ये रिट याचिकाएं दायर की हैं।

4. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गये अनुतोष कुछ भिन्नताओं के साथ समान हैं, हालांकि, इन याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए, डब्लूपीसी संख्या 1502/2025 (चित्रसेन रथ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) को मुख्य याचिका के रूप में लिया गया है।

उक्त याचिका में मांगे गये अनुतोष नीचे उद्धृत हैं: --

" 10.1. यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह उत्तरवादी के अधिकारियों को आदेश और निर्देश देते हुए एक उपयुक्त रिट जारी करे कि वे खरीद केंद्रों से बोरियों की संख्या के अनुसार धान को तुरंत उठा लें।

10.2. यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह उत्तरवादी प्राधिकरण को धान की कटाई से संबंधित नीति और करार की शर्तों का निर्धारित अवधि के भीतर पालन करने का निर्देश देवे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह उचित आदेश जारी करके उत्तरवादी प्राधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा धान को सुरक्षित रखने के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने का निर्देश देवे।

10.4 यह कि, दिनांक 12.11.2024 के स्पष्टीकरण पत्र के आलोक में उत्तरवादीगण को निर्देश दिया जाए कि वे शुष्कीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण धान की हानि की भरपाई करें। 10.5. यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी को निर्देश दे कि वह इस माननीय न्यायालय द्वारा समान प्रकरण में पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करे और निर्णय ले।



10.6 न्याय के हित में कोई अन्य अनुतोष प्रदान करें जिसे जिसे माननीय न्यायालय उपयुक्त तथा उचित समझे।"

5. इन रिट याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के आधार पर, अधिकांश याचिकाकर्ताओं (जो सोसायटी प्रबंधक हैं) ने वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने-अपने खरीद केंद्रों पर धान की खरीद की। 12.01.2024 को नीति को स्पष्ट किया गया, जिसमें धान उठाने की समय सीमा 31.01.2025 निर्धारित की गई। इसके बाद, धान की ढुलाई की समय सीमा को 19.02.2025 तक बढ़ाने के लिए एक और अधिसूचना जारी की गई, और फिर इसे 28.02.2025 तक आगे बढ़ा दिया गया। इन विस्तारों के बावजूद, धान का पूरा स्टॉक अभी तक नहीं उठाया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यद्यपि धान का एक महत्वपूर्ण भाग उनके संबंधित खरीद केंद्रों से उठा लिया गया है, फिर भी काफी मात्रा में धान उठाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं की समितियों के संघ ने यह विवाद्यक उठाया है, तथा उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे; हालांकि, इन उपायों से याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का पर्याप्त समाधान नहीं हुआ है। खरीद केंद्रों में धान को उचित आश्रय में रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और कई केंद्रों में धान खुले खेतों में रखा जाता है। परिणामस्वरूप, कटाई में विलंब के कारण धान सूख जाता है और उसका वजन दिन-प्रतिदिन घटता जाता है। इसके अतिरिक्त, कीट-पतंगे, कौवे, खरगोश, पक्षी आदि जैसे अनियंत्रित पर्यावरणीय कारक धान की मात्रा में और भी कमी लाते हैं, जो अपरिहार्य है। खरीद केंद्रों में धान के प्रभावी भंडारण के लिए उचित भूमि निर्माण और बाड़बंदी जैसी उपयुक्त अवसंरचना का भी अभाव है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को खरीदे गए धान की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि धान की खरीद शुरू में शीत ऋतु में की गई थी, लेकिन जैसे-जैसे मौसम ग्रीष्म ऋतु में बदलता है, सूखने के कारण इन केंद्रों में भंडारित धान की कुल मात्रा और भी कम हो जाती है। याचिकाकर्ता न्यायालय से दो प्रकार के उपायों के लिए निर्देश चाहते हैं; पहला, वे अनुरोध करते हैं कि उत्तरवादीगण को शेष धान उठाने का आदेश दिया जाए। दूसरा, वे राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से प्रत्येक बोरी में धान की मात्रा में कमी के संबंध में समायोजन करने का आदेश चाहते हैं, ताकि याचिकाकर्ताओं को विलंबित कटाई और पर्यावरणीय कारकों के कारण मात्रा में कमी से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके।

7. संबंधित याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिकाएं प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के विरुद्ध दायर की जा रही हैं, जिन्होंने खरीद सत्र 2024-2025 के दौरान खरीदे गए धान की अंतिम कटाई करने में विफल रहे हैं और सरकार की खरीद नीति तथा पक्षों के बीच हुए करार की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 12.11.2024 की नीति के खंड 15.8 और 15.9 के अनुसार, धान की कटाई खरीद की तिथि से एक माह के भीतर, अर्थात् 31.01.2025 तक की जानी थी, और उच्च अधिकारियों के बार-बार निर्देशों के बावजूद, आज तक



कटाई नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप नीति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। यह कहा गया है कि लगातार देरी के कारण धान की भारी मात्रा खुले मैदानों में पड़ी है, जो मौसम के बदलावों के संपर्क में है और उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है। इससे न केवल याचिकाकर्ताओं को बल्कि आम जनता को भी सीधा नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन दिए हैं, लेकिन समस्या के समाधान या धान को मिल मालिकों या गोदामों तक समय पर पहुंचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह निष्क्रियता मनमानी, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और करार के खंड 2.7 का भी उल्लंघन है, जिसमें बफर सीमा से परे धान को जल्द से जल्द उठाने का प्रावधान है। आगे यह भी कहा गया है कि पिछले वर्षों में, एक खरीद नीति थी जिसके तहत धान की कमी को स्वीकार्य मात्रा हानि के एक प्रतिशत या दो प्रतिशत के लाभ के रूप में माना जाता था, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति जारी नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस न्यायालय का रुख किया है।

8. विद्वान राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कारणों पर कुछ हद तक विचार किया जा सकता है, हालांकि, याचिकाकर्ता जलवायु परिस्थितियों और धान की प्राकृतिक शुष्कता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता धान की मात्रा में कमी की अनुमति चाहते हैं, जिसे राज्य के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनका निवेदन है कि राज्य सरकार से इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा है और निर्णय लिए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सूचित किया जाएगा।

9. उत्तरवादी हेतु विद्वान अधिवक्ता – मार्कफेड का निवेदन है कि धान की कटाई के संबंध में, मार्कफेड सक्रिय रूप से धान की कटाई कर रहा है, और यह कहना गलत होगा कि कटाई नहीं हो रही है। उनका निवेदन है कि धान की कमी के संबंध में, उत्तरवादी राज्य को जांच करने और शेष धान की कटाई के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धान की कटाई में कोई बाधा नहीं है और केंद्र सरकार के परिपत्रों के साथ-साथ राज्य सरकार के निर्देश भी हैं, जिनके कारण धान की कटाई नियमित रूप से की जा रही है। यह निवेदन किया जाता है कि धान की ढुलाई की तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है और हाल ही में इसे दिनांक 19.02.2025, 01.03.2025 और 15.03.2025 के आदेशों के माध्यम से बढ़ाया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का काफी हद तक समाधान हो चुका है और केवल बहुत कम मात्रा में धान शेष है। उत्तरवादीगण को विश्वास है कि राज्य सरकार खरीद केंद्रों से शेष धान की ढुलाई के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगी और धान की मात्रा में हुई हानि के संबंध में निर्णय लेने और उचित आदेश जारी करने का दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों पर होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि धान की ढुलाई और उसे सीमा शुल्क मिलिंग केंद्रों तक भेजने का दायित्व सौंपी गई संस्था मार्कफेड अपनी जिम्मेदारियों का



निर्वाह कर रही है। यह तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद धान की मात्रा में हुई हानि के समायोजन के संबंध में निर्णय लेने पर मामले का निपटारा कानून के अनुसार किया जाएगा और वर्तमान में याचिकाकर्ताओं की अधिकांश शिकायतों का निवारण पहले ही हो चुका है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है, उनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत तर्क पर विचार किया है और रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

11. अभिलेखों, परिपत्रों और नीतियों की जांच करने पर यह प्रतीत होता है कि संबंधित खरीद केंद्रों से धान की मात्रा समय-समय पर उठाई जा रही है और धान उठाने का समय कई बार बढ़ाया जा चुका है। उत्तरवादी राज्य के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार विस्तारित समय सीमा के बाद धान की ढुलाई के संबंध में निर्णय पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, चूंकि संबंधित खरीद केंद्रों द्वारा सरकारी नीति और पक्षों के बीच हुए करार के अनुसार धान की ढुलाई की जा चुकी है, इसलिए उक्त धान की ढुलाई राज्य का कर्तव्य है, जबकि विभिन्न कारणों से धान की ढुलाई समय पर नहीं हो सकी। चूंकि राज्य सरकार ने ढुलाई की समय सीमा बार-बार बढ़ाई है, इसलिए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित खरीद केंद्रों से धान की ढुलाई कर ली जाएगी। यह अधिनियम समय बीतने, जलवायु परिस्थितियों, चूहों और अन्य कीड़ों जैसी प्राकृतिक आपदाओं और बरसात के मौसम के निकट होने के कारण एकत्रित धान को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बनाया गया है।

12. अब विवादक धान की कटाई में हुई क्षति से संबंधित है, जो जलवायु और अन्य ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई है जिन पर याचिकाकर्ता समितियों का कोई नियंत्रण नहीं है। चूंकि धान की कटाई में विलंब के कई कारण हैं, जिनमें खराब मौसम भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप धान की मात्रा में कमी आई है पिछले वर्षों में कटाई की सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इस सीजन के लिए ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है और केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस मामले में निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतः, यह न्यायालय उम्मीद करता है कि केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें इस विवादक को हल करने के लिए नियम/निर्देश बनाएंगी। धान की मात्रा पर जलवायु और अन्य अनियंत्रित कारकों का प्रभाव पड़ना अपरिहार्य है। इसलिए, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श करके इस प्रकरण में निर्णय लेना चाहिए।

13. समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, विशेषकर सार्वजनिक नीति और जनहितों की रक्षा के संदर्भ में। इसलिए, राज्य सरकार को सार्वजनिक नीतियों का निर्माण और अनुपालन समय पर सुनिश्चित करना चाहिए और इन नीतियों के कार्यान्वयन में देरी होने पर उचित कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अलावा, जवाबदेही के सिद्धांत के अनुसार, जनता की शिकायतों का समय पर और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना चाहिए।



14. इस प्रकरण के इस पहलू पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है मेसर्स जगदंबा राइस मिल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के प्रकरण में, सीडब्ल्यूपी संख्या- 20840/2021 में, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया - - -

"14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इन रिट याचिकाओं का निराकरण करते हैं:--

i) भारत सरकार द्वारा दिनांक 3 दिसंबर, 1998 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए सूखा भत्ते में कटौती के आदेश को अपास्त किया जाता है, जिसकी एक प्रति सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 833/2001 में अनुलग्नक पी-8 के रूप में प्रस्तुत की गई है। अन्य किसी मामले में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

ii) सूखा भत्ते में कमी के कारण वसूली के सभी आदेश रद्द किए जाएंगे। भारत सरकार के अनुसार, सूखे का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। राज्य ने अपने अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा है कि उन्होंने 1% की दर से सूखे का दावा किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने गलत तरीके से एमएसपी के 1% से कम सूखे निर्धारित किया है। राज्य के अतिरिक्त शपथ पत्र के सुसंगत अंश इस प्रकार हैं: --

"4. यह निवेदन किया जाता है कि याचिका के साथ अनुलग्नक पी-5 के रूप में संलग्न अनुसूची-II, जैसा कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 01-08-2023 के आदेश में उल्लेख किया है, पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता प्रकरण विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई है। यह गणना भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा स्टॉक फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर की गई है और इसमें पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित बैलेंस शीट पर विचार नहीं किया गया है। यह अनुसूची भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल (पीआई) सेल द्वारा स्वयं तैयार की गई है और यह केएमएस 2014-15 की अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट का हिस्सा है। पंजाब राज्य ने सभी एजेंसियों के लिए एमएसपी के 1% की दर से अर्थात् 14.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूर्ण सूखे का दावा किया है, जो केएमएस 2014-15 के अंतिम दावों के प्रस्तुतीकरण से स्पष्ट है, जो पत्र संख्या पीआरए पीआरए-इंसी-3-34-2017/1868 दिनांक:14-09-2017 (प्रति संलग्नक आर-6 के रूप में) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार, पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव और सभी राज्य खरीद एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों ने प्रमाणित किया था कि एमएसपी के 1% की दर से ड्रायज शुल्क का लाभ मिल स्वामियों को पहले ही दिया जा चुका है और केंद्रीय पूल के लिए पिसाई किए गए धान के लिए एफसीआई द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जा चुकी है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 192(14)/2014-एफसी ए/सी दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से जारी अनंतिम लागत पत्रक में बताया गया है, जिसकी प्रति अंतिम दावों के साथ भारत सरकार को भी प्रस्तुत की गई थी। पंजाब राज्य ने एमएसपी के 1% की दर से सूखे का भुगतान किया था। राज्य का यह दृढ़ मत है कि याचिकाकर्ता 1% सूखे के हकदार हैं, हालांकि, केंद्र



सरकार ने एमएसपी के 1% से कम सूखे की गणना गलत तरीके से की है। आक्षेपित नोटिसों के माध्यम से राज्य अनंतिम दर पर भुगतान किए गए सूखे और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम दर के बीच के अंतर की वसूली का प्रयास कर रहा है। राज्य के शपथ पत्र से स्पष्ट है कि राज्य इस प्रकरण को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहा है और इसके लिए उसने केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे हैं। राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार ने सूखे (माल ढुलाई शुल्क) गलत तरीके से निर्धारित किया है, जबकि भारत संघ और भारतीय खाद्य निगम के विद्वान वकील श्री सुनीश बिंदलिश के अनुसार, दरें उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। हालाँकि, अंतिम दरों के निर्धारण का मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य का था। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई गलत संचार या गलतफहमी हुई है, तो याचिकाकर्ता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। राज्य ने एकतरफा वसूली कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। पीड़ित पक्षों को न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। उत्तरवादी राज्य विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य था। राज्य को प्रभावित पक्षों को शामिल किए बिना वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने का कोई अधिकार नहीं है।"

15. उपरोक्त प्रकरण में, न्यायालय ने पाया कि धान के भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान वजन में होने वाली कमी की भरपाई के लिए देय सूखा भत्ता, पंजाब राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 1% की दर से केएमएस 2014-15 के लिए उचित रूप से मांगा गया था। इस दर को राज्य खरीद एजेंसियों के प्रधान सचिव और प्रबंध निदेशकों द्वारा प्रमाणित किया गया था, और तदनुसार भुगतान किया गया था। हालाँकि, केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय अभिलेखों पर विचार किए बिना, पशुधन प्रवाह आंकड़ों के आधार पर एकतरफा रूप से कम निकासी दर निर्धारित की। इस विसंगति के परिणामस्वरूप, राज्य ने भुगतान की गई राशि और प्रतिपूर्ति की गई राशि के बीच के अंतर की वसूली के लिए मिल के स्वामियों और अन्य हितधारकों के विरुद्ध वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की। न्यायालय यह अभिनिर्धारित करती है कि बिना पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए की गई ऐसी वसूली कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायालय आगे यह कहती है कि अंतिम जल निकासी दर निर्धारण का विवादक केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य है, तथा अंतर-सरकारी विवादों से उत्पन्न विसंगतियों के लिए निजी पक्षों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए ढुलाई भत्ते में कटौती को रद्द कर दिया और राज्य द्वारा प्रारम्भ की गई वसूली कार्यवाही को अनधिकृत और प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।

16. न्यायालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 1% की दर से ड्रायेज के भुगतान को वैध ठहराया गया है तथा राज्य द्वारा वसूली के प्रयासों को अवैध, मनमाना और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया। ड्रायेज प्रतिपूर्ति का विवाद अंतर-सरकारी मामला है और इसे याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंपा जा सकता है।



17.उपरोक्त प्रकरण के पहलू और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार करते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि वे इस आदेश की प्रति सहित एक उचित अभ्यावेदन केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि इस विवादक पर विचार किया जा सके और उनकी शिकायतों का निवारण इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जा सके। संबंधित प्राधिकारी उक्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हैं और विधि के अनुसार 90 दिनों की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए निर्णय लेते हैं।

18. तदनुसार, समस्त रिट याचिकाओं का निराकरण किया जाता है।

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।